

मैनुअल-13

दी गई रियायतों, परमितों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण

(धारा 4(1) (ख)(xiii))

लाभार्थियों की सूची

एस.नं.	लाभार्थी का नाम और पता	दी गई छूट/परमित/अधिकार का प्रकार	जिस उद्देश्य के लिए अनुमति दी गई	चयन के लिए योजना और मानदंड	पहले कितनी बार इस तरह की छूट दी गई थी।
1.	लाइसेंसिंग यूनिट, पीएस डिफेंस कॉलोनी, दिल्ली	आर्म्स रूल्स, 1962 की जगह आर्म्स रूल्स, 2016 ने ले ली है। आर्म्स रूल्स 2016 में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जिससे ESM या डिफेंस पर्सन को आर्म्स लाइसेंस की फीस में कोई छूट मिल सके। हालांकि, आर्म्स रूल 2016 के रूल 27(3) के मुताबिक, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक जनरल या स्पेशल ऑर्डर जारी करके और कारणों को लिखकर और ऐसी शर्तों के तहत, अगर कोई हो, जो ऑर्डर में बताई गई हों, किसी भी लाइसेंस के लिए पेमेंट की जाने वाली फीस में छूट दे सकती है या उसे कम कर सकती है।	-----	-----	रिकॉर्ड में ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।